

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Appeal Case No.- 07/2026]

Sinni Kumari.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Others.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.09.2026	आदेश यह आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-17253/2019 में दिनांक 17.10.2025 को पारित आदेश के आलोक में जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-573/आ0, दिनांक-05.07.2019 के विरुद्ध दायर किया गया है। दिनांक-09.09.2026 को उभय पक्ष के बहस को सुना। आवेदक के वाद पत्र, विपक्षी के जवाब एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका सिन्नी कुमारी का वाद पत्र के माध्यम से अभिकथन है कि - - जिला पदाधिकारी, मधेपुरा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के संयुक्त हस्ताक्षर से ज्ञापांक-479 दिनांक-09.08.2017 के द्वारा सम्पूर्ण जिला में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। तदनुसार मधेपुरा जिलान्तर्गत अनुमंडल-मधेपुरा, प्रखंड-गम्हरिया, पंचायत-इटवा जीवछपुर में कुल-03 रिक्त पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया जिसमें अनुसूचित जाति हेतु-01, अनुसूचित जनजाति महिला हेतु-01 एवं अनारक्षित महिला हेतु-01 की, रिक्ति दर्शायी गयी। विज्ञापन के शर्तों के अनुसार "रिक्त जिस कोटि के लिए आरक्षित है आवेदन उसी कोटि का प्राप्त किया जायेगा"। - आवेदिका रिक्त वार्ड नम्बर-01 के स्थायी निवासी है। उनके द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु अपना आवेदन सभी अपेक्षित कागजातों एवं शैक्षणिक योग्यता यथा-स्नातक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र, कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र संलग्न कर अनारक्षित महिला कोटि के लिए आवेदन दाखिल किया गया। - आवेदिका के अतिरिक्त खुशबू रानी (विपक्षी) जो वार्ड नं0-12 की निवासी है, ने भी अपना आवेदन दिया। अपने आवेदन में उनके द्वारा इंटर पास योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र संलग्न किया था लेकिन स्नातक योग्यता को कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया था। - गम्हरिया प्रखंड के इटवा जीवछपुर पंचायत हेतु रिक्ति के विरुद्ध कुल-14 आवेदकों की मेधा सूची प्रदर्शित की गयी जिसमें क्रमांक-01 पर आवेदिका का नाम दर्ज था। आवेदिका सिन्नी कुमारी के नाम के साथ स्नातक एवं कम्प्यूटर योग्यता, जन्म तिथि-15.10.1987 दर्ज है जबकि विपक्षी खुशबू रानी का नाम मेधा सूची के क्रमांक-05 पर योग्यता इंटर तथा जन्म तिथि-05.03.1991 दर्ज है।	





5. मात्र दो अभ्यर्थियों का नाम यथा- क्रमांक-01 पर आवेदिका सिन्नी कुमारी को अनारक्षित महिला कोटि से एवं शंकर राम को अनुसूचित जाति के कोटि से चयन हेतु प्रस्तावित किया गया। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी खुशबू कुमारी का नाम चयन हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया तथा अनुसूचित जनजाति महिला कोटि से अभ्यर्थी नहीं होने के कारण उसे रिक्त रखा गया।
6. सभी 14 अभ्यर्थियों के आवेदन के आलोक में औपबंधिक मेधा सूची में संप्रदर्शित करते हुए आम सूचना के द्वारा उक्त मेधा सूची के विरुद्ध 01.09.2018 से 06.09.2018 तक आपत्ति की मांग की गयी तथा यह निदेशित किया गया कि निर्धारित समय के उपरांत किसी भी प्रकार का आपत्ति मान्य नहीं होगा।
7. विपक्षी खुशबू रानी द्वारा दिनांक-06.09.2018 तक कोई आपत्ति अपने स्नातक उत्तीर्णता के संबंध में नहीं दिया गया और ना ही अपने स्नातक का अंक-पत्र दाखिल किया गया।
8. आवेदिका द्वारा विपक्षी खुशबू रानी के विरुद्ध आपत्ति दी गयी कि उन्होंने आवेदन के साथ स्नातक का कोई प्रमाण-पत्र दाखिल नहीं किया है तथा वह वार्ड नं0-12 के निवासी हैं जबकि उनका आवेदन वार्ड नं0-10 के लिए है। उल्लेखनीय है कि वार्ड नं0-10 में पूर्व से जन वितरण प्रणाली की दुकान थी।
9. चयन समिति द्वारा दिनांक-11.12.2018 को सभी योग्य अभ्यर्थी के आवेदनों के जाँचोपरान्त अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गयी। क्रमांक-18 पर आवेदिका सिन्नी कुमारी का नाम दर्ज था जिसके अभ्युक्ति कॉलम में स्पष्ट उल्लेखित था कि अपीलार्थी/आवेदिका "अनारक्षित महिला कोटि से चयनित" है।
10. अंतिम चयनित अभ्यर्थी की सूची प्रकाशन के उपरांत विपक्षी खुशबू रानी के द्वारा पुनः एक आवेदन चयन समिति को दिया गया कि वह स्नातक उत्तीर्ण है तथा वह अंक पत्र दाखिल कर रही है। इसलिए उसका चयन किया जाय।
11. अंतिम चयन सूची प्रकाशन के उपरांत आपत्ति का कोई प्रावधान नहीं है। किन्तु अपीलार्थी/आवेदिका को बगैर किसी प्रकार के सूचना एवं सुनवाई का मौका दिये नियम कानून के विपरीत जाकर मनमाने रूप से चयन समिति द्वारा उनके चयन को रद्द कर विपक्षी खुशबू रानी को औपबंधिक रूप से चयन कर चयन सूची दिनांक-31.01.2019 को प्रकाशित किया और पुनः दिनांक-09.02.2019 तक आपत्ति का मांग किया।
12. आवेदिका के द्वारा दिनांक-08.02.2019 को विपक्षी संख्या-07 के विरुद्ध आपत्ति दाखिल किया गया कि विपक्षी ने आपत्ति ससमय नहीं दिया है। इसलिए उसका स्नातक का योग्यता स्वीकार करते हुए बगैर अपीलार्थी को कोई सूचना दिये हुए और सुने हुए अंतिम चयन सूची से नाम विलोपित कर विपक्षी का नाम संलग्न कर पुनः औपबंधिक सूची प्रकाशित किया जाना गलत है।
13. आवेदिका के द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया गया कि नियमानुसार उनका चयन होना चाहिए क्योंकि "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016" के नियम-9(v) के अनुसार उचित मूल्य की दुकार की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क

होगा। परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

तदनुसार आवेदिका स्नातक उत्तीर्ण है तथा उनकी जन्म तिथि 15.10.1987 है जबकि विपक्षी खुशबू रानी का पहले औपबंधिक सूची में योग्यता इंटर थी। बाद में दिनांक-31.01.2019 को गलत रूप से प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में योग्यता स्नातक दर्शायी गयी तथा उनकी जन्म तिथि 05.03.1991 है। इस प्रकार अपीलार्थी की उम्र विपक्षी से ज्यादा है। इसलिए अपीलार्थी का चयन नियमानुकूल है।

14. बावजूद इसके चयन समिति द्वारा सारे नियम कानून के विपरीत जाकर अपीलार्थी द्वारा दिये गये आपत्ति को दरकिनार कर मनमाने रूप से पक्षपात कर ज्ञापांक-573/आ0 दिनांक-05.07.2019 से खुशबू रानी का अवैध रूप से चयन कर उसे जन वितरण प्रणाली के दुकान हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत कर दिया गया।
15. ठीक इसी प्रकार के एक मामले (CWJC NO-13491/2024 का आदेश दिनांक-19.06.2025) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का एक आदेश है कि जब दो व्यक्ति का समान योग्यता है तो अधिक उम्र वाले का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाना है।

विपक्षी संख्या-07, खुशबू रानी की ओर से दाखिल जवाब -

1. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक-479 दिनांक-09.08.2017 के द्वारा सम्पूर्ण जिला में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति विज्ञापन प्रकाशित की गयी जिसके अनुसार विपक्षी के द्वारा भी अपना आवेदन प्रखंड गम्हरिया के इटवा जीवछपुर पंचायत के वार्ड नं0-12 के लिए दिया गया। कुल रिक्ति अनुसूचित जाति हेतु-01 पद, अनुसूचित जनजाति महिला हेतु-01 पद एवं अनारक्षित महिला हेतु-01 पद था। सभी मापदंडों को पूरा करते हुए उच्च योग्यता एवं कम्प्यूटर ज्ञान व भंडारण क्षमता के रहते हुए उनका चयन किया गया और वह अब तक कर्तव्य निर्वहण करती आ रही है।
2. उल्लेखनीय है कि विपक्षी संख्या-07 खुशबू रानी ने भी अपना आवेदन अनारक्षित महिला कोटि के लिए दिया था और योग्यता के कॉलम में स्नातक दर्ज था। तदालोक में उच्च योग्यता एवं कम्प्यूटर का ज्ञान होने के कारण विपक्षी संख्या-07 का चयन किया गया जो विधिसम्मत है।
3. आवेदिका के वाद पत्र की कंडिका-04 का कथन भ्रामक एवं गलत है क्योंकि उनके द्वारा दाखिल आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने अपना आवेदन अनारक्षित महिला कोटि हेतु किया था और योग्यता के कॉलम में स्नातक उत्तीर्ण दर्ज था जो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रकाशित जाँच प्रतिवेदन के SL No-10 में उनके नाम के विरुद्ध योग्यता के कॉलम में स्नातक दर्ज है। इसलिए आवेदिका का दावा कि विपक्षी संख्या-07 खुशबू रानी इंटर पास है, गलत है।
4. आवेदक के आवेदन की कंडिका-05 का कथन भी भ्रामक एवं गलत तथ्यों पर आधारित है क्योंकि विपक्षी संख्या-07 खुशबू रानी ने अपना आपत्ति आवेदन समय-समय में दिया था, जिसके आधार पर सुधार के उपरांत उनका यानि खुशबू रानी का चयन किया गया।
5. आवेदिका के वाद पत्र के कंडिका-09 का कथन गलत है क्योंकि अनुज्ञापन पदाधिकारी ने सभी प्राप्त आवेदनों की गहन जाँच कर सही



पाकर विपक्षी संख्या-07 खुशबू रानी का चयन किया जो विधिसम्मत है।

6. यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि सभी मापदंडों में समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इसलिए ऐसा कहना कि आवेदिका का उम्र अधिक है इसलिए आवेदिका चयन होना चाहिए, गलत है क्योंकि उनकी योग्यता आवेदिका के योग्यता से अधिक है अर्थात् स्नातक में आवेदिका को 52.7 प्रतिशत अंक है जबकि विपक्षी संख्या-07 का योग्यता स्नातक पास 62.93 प्रतिशत अंक है। इस तरह आवेदिका का वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने, वाद पत्र, विपक्षी का जवाब तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि :-

1. अपीलार्थी द्वारा अपने वाद पत्र में CWJC No-13491/2025 में दिनांक-19.06.2025 को पारित आदेश को उल्लेखित करते हुए अपनी उम्र की आधार पर चयन हेतु दावा किया गया है। अपीलार्थी के उक्त दावा से स्पष्ट है कि वे कहीं न कहीं इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि विपक्षी संख्या-07 खुशबू कुमारी स्नातक उत्तीर्ण हैं।
2. बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका-9(v) में उल्लेखित है कि कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने की स्थिति में अधिक योग्य को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्णित परिप्रेक्ष्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2733 दिनांक-02.06.2026 जो जिला पदाधिकारी, सुपौल को संबोधित है, में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि Qualification में समानता होने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. उभय पक्ष द्वारा आवेदन के साथ जो स्नातक का अंकपत्र संलग्न किया गया है उसके समीक्षोपरान्त विपक्षी संख्या-07 का प्राप्तांक अधिक है।

उपरोक्त के आलोक में जिला चयन समिति द्वारा प्रश्नगत मामले में लिये गये निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए अपीलार्थी के इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी जाय। निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धित।


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

